**Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)**
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886|
Vol. 18Issue 08, Aug- 2023
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

# प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा

डॉ. रजनी मीना
सहायक आचार्य इतिहास
राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर)

## सारांश

प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और प्रषासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँतक कि यह विचारधारा भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग के रूप में जानी जाती है, जिसे प्राचीन भारत के विभिन्न शासकों ने अपनी कार्यषैली से अभिव्यक्त किया। लोकतांत्रिक संस्थाएँ उस समय के समाज में सहमति पर आधारित थी और ग्राम स्वराज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारत का आदिम लोकतंत्र नवपाषाण काल, वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल, मौर्यकाल, गुप्तकाल तथा चोलकाल तक के क्रमिक विकास में दिखाई देता है। ग्राम स्वराज्य का अर्थ था कि गांव के निवासियों को उनके गांव के प्रषासन में सहयोग करने का अधिकार था। सर्वजनहिताय, सर्वजन सुखाय का विचार इसे दृढ़ बनाता था। वैषाली गणराज्य लोकतंत्र का एक आदर्ष उदाहरण रहा है। मौर्य साम्राज्य के समय ग्राम स्वराज्य का प्रचलन था, जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को उनके गांव के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार था। इसके साथ ही सम्राट का सत्ताधिकार भी था, लेकिन वह अपनी सत्ता को ग्राम स्तर पर चलाने वाले स्थानीय नेताओं के साथ साझा करता था। चोलकालीन स्थानीय स्वषासन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार ग्राम स्वराज्य और लोकतांत्रिक संस्थाएँ प्राचीन भारत में सामाजिक समानता और सहमति की भावना को अभिव्यक्त करती थी और यह भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।

**मुख्य शब्द– ग्राम स्वराज्य, लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन, डेमोकेसी, गणराज्य**

**Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)**
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886|
Vol. 18Issue 08, Aug- 2023
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि ये संरचनाएं समाज को स्वाधीनता और स्वाधिकार का माध्यम प्रदान करती थी। ग्राम स्वराज्य में स्थानीय निवासियों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का मौका मिलता था, जिससे उनकी आवाज सरकारी निर्णयो में समाहित होती थी। यह समाज को सामाजिक न्याय और समानता की ओर बढ़ाता था। ग्राम स्वराज्य की संरचना में गांव के स्थानीय नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। इन नेताओं का मुख्य कार्य स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में होता था और वे अपने समुदाय की आवाज को शासन में प्रतिष्ठित करते थे। इसके अलावा इन नेताओं का निर्वाचन सम्पूर्ण गांव की सहमति से होता था, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया जाता था। इस तरह ग्राम स्वराज्य की अवधारणा और लोकतांत्रिक संस्थाएँ भारतीय समाज में आत्म–संयम, जागरूकता आर सामाजिक सहमति की भावना को अभिव्यक्त करती थी। ये संरचनाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता और समृद्धि के प्रति सहयोगी थी और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इन तथ्यों से यह प्रकट होता है कि भारत भूमि **'मदर ऑफ डेमोक्रेसी'** (लोकतंत्र की जननी) भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही यहाँ लोकतंत्र (जनतंत्र) का विचार लोकप्रिय रहा और इसे ऐसी मानवीय संस्था के रूप में देखा गया जिसमें मानवहित और जनकल्याण को सर्वोपरि रखकर जनप्रतिनिधि संस्थाएँ कार्य करती थी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकतांत्रिक परम्पराएं विद्यमान थी जिसका उद्देष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों का समावेषी एवं समानतापूर्ण विकास करना था जिससे समाज के निम्न स्तर तक के व्यक्ति को शासन व्यवस्था से जोड़ा जा सके। प्राचीन भारत में लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण महाजनपदकाल के सोलह सबसे शक्तिषाली विषाल सम्राज्य और गणराज्य थे। प्राचीन भारत में लोकप्रिय शाक्य, कोलिय, मल्ल, वज्जि और लिच्छवियों ने गणतांत्रिक सरकारों का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। वैषाली के लिच्छवी गणराज्य की शक्ति का आधार ही लोकतात्रिक व्यवस्था थी जिसमें लगभग 7707 राजा मिलकर प्रषासन चलाते थे। मगध जैसा साम्राज्य भी इस लोकतांत्रिक शासन को पराजित नहीं कर पाया। गणराज्यों की शक्ति राजा और सभा थी

**Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)**
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886|
Vol. 18Issue 08, Aug- 2023
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

जिसके पास पूर्ण वित्तिय, प्रषासनिक और न्यायिक अधिकार होता था। बौद्ध संघ भी गणतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक थे जहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे।

इस प्रकार प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्रामस्वराज्य की अवधारणा नैतिक और सामाजिक मूल्यों को अभिव्यक्त करने के रूप में महत्वपूर्ण थी और इन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को सार्थक बनाया।

## अध्ययन की आवश्यकता

प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे देष के इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं की समझ में मदद करता है। प्राचीन भारत में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा मुख्य रूप से गांव की जनता के आत्म–प्रषासन को संकेत करती थी। गांव के लोग अपने स्वयं के निर्णय लेते थे और उनके जीवन को सुधारने के लिए सामाजिक संरचना बनाते थे। लोकतांत्रिक संस्थाएँ दिखाती है कि प्राचीन भारत में लोगों का सहमत होना और साझा निर्णय लेने का आदर्ष प्रचलित था। यह अध्ययन हमें दिखाता है कि हमारे पूर्वज कैसे समृद्ध और विविध समाज का निर्माण करने के लिए सामाजिक संरचना और लोकतांत्रिक तरीकों का प्रयोग करते थे। इसलिए इस अध्ययन का महत्व अपने इतिहास को समझने और आज के समय में शासन के प्रति हमारी सोच को सुधारने में है जो एक सषक्त और सामाजिक भारत के निर्माण में मदद कर सकता है।

## अनुसंधान का दायरा

प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का अनुसंधान करने के लिए हमें भारतीय इतिहास और साहित्य के प्राचीन प्रमाणों का संदर्भ लेना होगा। इसके लिए हम भारतीय समृद्धि और संस्कृति के विभिन्न कालों में उपलब्ध ग्रंथो, लिपियों और स्मृतियों का अध्ययन कर सकते हैं।

अथषास्त्र : मौर्य राजवंष के समय अर्थषास्त्री कौटिल्य की ''**अर्थशास्त्र**'' (चाणक्य नीति) में लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लेख है। इसमें स्वराज्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी।

**Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)**
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886|
Vol. 18Issue 08, Aug- 2023
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

धर्मषास्त्र (आपदर्षक): महर्षि मनु के ''**मनुस्मृति**'' में लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं और समाज में सर्वसम्मति के माध्यम से ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना की गई है। पाणिनी की **अष्टाध्यायी**, **जातक ग्रंथ**, हेरोडोट्स की '**द हिस्ट्रीज**', के.पी. जायसवाल की हिन्दू **पॉलिटी**, अल्तेकर की **प्राचीन भारत में गणराज्य** आदि रचनाएं महत्वपूर्ण है।

**उद्देश्य**

1. प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का उद्देष्य सामाजिक समानता और न्याय को स्थापित करना था।
2. ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का उद्देष्य ग्रामीणों को स्वतंत्र रूप से अपने समुदाय के मामलों में भाग लेने का मौका देना था।
3. इन संस्थाओं का उद्देष्य समाज में सामाजिक सहभागिता, सक्रियता और समानता न्याय को बढ़ावा देना था।
4. ग्राम स्वराज्य के माध्यम से ग्रामीणों को अपने दैनिक जीवन के मामलों में स्वायत्तता और निर्णय की स्वतंत्रता मिलती थी।
5. ये संस्थाएँ समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच संवाद और सहमति को बढ़ावा देती थी ताकि सामाजिक समृद्धि और एकता को बनाए रखा जा सके।

**ग्राम पंचायत और सभा** :

प्राचीन भारत में ग्राम पंचायत और सभा सुषासन के महत्वपूर्ण प्रतीक थे, जिन्हें ग्राम स्वराज्य के प्रमुख संस्थान माना जाता था। ग्रामीणों की समाज में सहभागिता और संचालन में योगदान इन संस्थाओं के माध्यम से किया जाता था। वैदिक कालीन भारत में सभा श्रेष्ठ मानवों की संस्था थी इसलिए इसे 'नरिष्ठा' कहकर संबोधित किया गया। समिति और विदथ भी जनतांत्रिक शासन प्रणाली की प्रमुख आधार थी। राजा की शक्तियों पर अंकुष इन संस्थाओं द्वारा लगाया जाता था। चोलकालीन ग्राम प्रषासन में उर, सभा, आलुंगणम, वारियम स्थानीय स्वषासन का आदर्ष उदाहरण थी।

**Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)**
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886|
Vol. 18Issue 08, Aug- 2023
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

मौर्य और गुप्त राजवंषों की प्रषासनिक व्यवस्था में लोकतंत्र निरूपण था। मौर्य शासकों ने अपने शासन क्षेत्र में समाज को समृद्धि और एकता के माध्यम से अधिक सक्रिय बनाने के लिए ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया। चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट अषोक महान् ने केन्द्र से ग्राम स्तर तक सुषासन स्थापित किया। गुप्त शासकों के समय भी ग्राम स्वराज्य के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया।

इन प्रमाणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा विभिन्न क्षेत्रों और समय के साथ विकसित हुई थी और यह समाज में सामाजिक समानता, सहभागिता और न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख माध्यम थी।

**ग्राम स्वराज्य–**

ग्राम स्वराज्य एक महत्वपूर्ण संविधानिक और सामाजिक अवधारणा थी, जिसने प्राचीन भारत में ग्रामीण समुदायों को आत्म–प्रषासन और स्वतंत्रता की भावना प्रदान की। इस अवधारणा के तहत् ग्राम स्वराज्य का मतलब था कि ग्रामीण समुदायों को उनके स्वायत्त प्रबंधन और निर्णयों के लिए पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का मूल उद्देष्य था ग्रामीण समुदायों को उनके समुदाय के मामलों में स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्रदान करना। ग्राम स्वराज्य के अंतर्गत ग्रामीण लोग अपने ग्राम के प्रषासनिक और सामाजिक मुद्दों के निर्णयों में मुख्य रूप से भागीदार होते थे और उनके लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती थी। ग्राम स्वराज्य के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को अपने समुदाय के विकास में सहयोगी बनाने का अवसर प्रदान किया जाता था। इन सभाओं में ग्राम के विकास की योजनाएं बनाई जाती थी और ग्राम के आर्थिक सुधार के लिए कई प्रकार की परियोजना और कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इन सभाओं में ग्राम के सभी वर्गों और समुदायों के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य और शूद्र समुदायों के सदस्य सम्मलित होते थे और उनकी आवाज को समान दर्जे पर सुना जाता था। ग्राम स्वराज्य के इस आदान–प्रदान ने ग्रामीण समुदायों को उनके दैनिक जीवन में स्वतंत्रता और निर्णय की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे उनका सामाजिक और

आर्थिक विकास हुआ और समाज में अधिक भागीदारी और सामाजिक समानता का विकास हो सका।

ग्राम स्वराज्य की अवधारणा प्राचीन भारत में ग्रामीण समुदायों के सषक्तिकरण और स्वायत्तता को अभिव्यक्त करने का एक सषक्त माध्यम था। इस अवधारणा के अन्तर्गत, ग्रामीण लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने समुदाय के मामलों में भाग लेने का मौका प्राप्त होता था, जिससे उनकी भागीदारी और साझेदारी को अभिव्यक्त किया जाता था। ग्राम स्वराज्य के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को अपने अपने विकास और प्रषासनिक निर्णयों में स्वतंत्रता दी जाती थी। इसका मतलब था कि लाग स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होते थे। इससे उन्हें अपने समुदाय के विकास में भाग लेने का अवसर मिलता था और उनका स्वतंत्र निर्णय उनके जीवन को सुधारने का मौका प्रदान करता था। ग्राम स्वराज्य की इस अवधारणा ने ग्रामीण समुदायों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्रता की भावना दी और साथ ही उन्हें अपने अधिकारों को सुनिष्चित करने का अधिकार दिया।

ग्राम स्वराज्य ग्रामीण समुदायों के दैनिक जीवन में स्वायत्तता और निर्णय की स्वतंत्रता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। इस अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण लोग अपने समुदाय के मामलों में निर्णय करने की स्वतंत्रता का अनुभव करते थे, जिससे उनका जीवन और अधिक स्वतंत्र और सुखमय बनता था। यह उन्हें उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति समझ और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता था। ग्रामीण समुदायों के लिए इससे दैनिक जीवन भी बेहतर बनता था। उन्हें अपने जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वतंत्रता होती थी, जसे कि खेती, उद्योग और सामाजिक मामलों के प्रति उनकी आवष्यकताओं का स्वयं निर्णय करने की स्वतंत्रता आदि। अतः ग्राम स्वराज्य ग्रामीण समुदायों के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर उनका सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिष्चित करने का माध्यम था। इस तरह प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दो महत्वपूर्ण प्रषासनिक और सामाजिक पहलुओं का प्रतीक थे। जिन्होंने समाज के संगठन और प्रषासन में महत्वपूर्ण बदलाव किया। लोकतांत्रिक संस्थाएँ भारतीय समाज में सामाजिक समानता और

न्याय की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में कार्य करती थी। इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण उद्देष्य था समाज के सभी वर्गों और जातियों के लोगों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का निर्णय सर्वसम्मति के माध्यम से लिया जाता था, जिससे समाज में कोई अन्याय नहीं होता था। इसका मतलब था कि ग्रामीण लोग स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होते थे, बिना किसी बाहरी अधिकारी के हस्तक्षेप के वे सहजता से गांव का प्रषासन चलाने में सहयोग करते थे। इससे सामाजिक ताना बाना भी सुरक्षित रहता था और सभी समुदाय के लोगों को समान रूप से कार्य करने और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते थे। समस्या यह है कि इन अवधारणाओं का पूरा और संषोधित अनुसंधान करने के लिए प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में अक्सर समग्र और विष्वसनीय जानकारी की कमी होती है। इसलिए हमें इन अवधारणाओं के आदिकाल से आधुनिक समय के परिप्रेक्ष्य में उनके विकास और प्रभाव का गहरा अध्ययन करने की आवष्यकता है ताकि हम समाज में सामाजिक समानता और न्याय के मूल्यों के प्रति हमारे आदषो को समझ सकें।

**निष्कर्ष–**

प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का निष्कर्ष यह है कि य संरचनाएं समाज में सामाजिक समानता, सहमति और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के महत्वपूर्ण माध्यम थे। लोकतांत्रिक संस्थाएँ समाज को स्वाधीनता और स्वाधिकार का माध्यम प्रदान करती थी। इन संस्थाओं के माध्यम से सरकार का सत्ताधिकार जनमत से मिलता था जिससे सरकारी निर्णयों को सामाजिक सहमति के आधार पर लिया जाता था। ग्राम स्वराज्य का महत्वपूर्ण पहलू था कि यह स्थानीय स्तर पर लोगों को उनके गांव के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता था। गांव के निवासियों का सहमति से चुनाव आयोजन किया जाता था और उन्हें ग्राम सभा का हिस्सा बनाया जाता था। इसके माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता को स्थापित किया जा सकता था। प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा समाज के मूल्यों और नैतिकता को अभिव्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और इन्होंने भारतीय समाज के सामाजिक और राजनीतिक

संरचना को सुदृढ़ बनाया। इन अवधारणाओं का अध्ययन हमें भारतीय समाज के विकास के साथ ही आज के लोकतांत्रिक समाज में भी महत्वपूर्ण षिक्षा प्रदान करता है। विष्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतदेष में इसका महत्व आज भी है।

**संदर्भ–**

1. श्रीवास्तव, टी.एन., स्थानीय स्वषासन और संविधान, 2002, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पृ.–3190–3198
2. प्रेजवोस्र्की, ए., लोकतंत्र और स्वषासन की सीमाएं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस. 2010
3. चंद्रिका, सी.एस., भारत में स्थानीय स्वषासन का प्रारंभिक इतिहास
4. कुमार, आर., भारत में पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास, 2015, इन्टरनेषनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोषल साइंस, 3(8), 523–530
5. विष्वनाथन, जी., भारत में स्थानीय स्वषासन का विचार, 2016, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरणः अनुभव, मुद्दे और चुनौतियाँ, 9
6. नाइक, डी., भारत में स्थानीय स्वषासनः एक सिंहावलोकन
7. एंटलोव, एच., वेट्टरबर्ग, ए., और धर्मवान, एल. 2016, ग्राम प्रषासन, सामुदायिक जीवन और इंडोनेषिया में 2014 का ग्राम कानून। इंडोनेषियाई आर्थिक अध्ययन बुलेटिन, 52(2), 161–183
8. रम्पिया, जे.आर., ग्राम लोकतंत्र का विद्रोहः गांव के लिए चुनौती और अवसर, 2014, सामाजिक विज्ञान 2015 पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बहु–विषयक सम्मेलन में, बंदर लैंपुंग विष्वविद्यालय।